कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 1641 / 1जी– FP/UK/Others/29590/2017 देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद – अल्मोड़ा में हैरिटेज पर्यअन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत कोटली गंधक में पार्किंग के निर्माण – 0.1513 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पर्यटन विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/Others/29590/2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–1563 दिनांक –08–11–2017 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)** अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी– FP/UK/Others/29590/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद– अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग अल्मोड़ा।
7. जिला पर्यटन अधिकारी, अल्मोड़ा।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम– जनपद – अल्मोड़ा में हैरिटेज पर्यअन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत कोटली गंधक में पार्किंग के निर्माण – 0.1513 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पर्यटन विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/Others/29590/2017**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.1513 है0 सिविल एवं सोयम पंचायत वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **अल्मोड़ा में स्वदेश दर्शन हैरिटेज सर्किट के अन्तर्गत कोटली गन्धक में पार्किंग का निर्माण** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.

Land Survey Directorate

Dehradun

सरकारी मोहरः

तिथि : 16 / 11 / 2017

स्थान : देहरादून

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1563 FP/UK/OTHERS/29590/2017 देहरादूनःदिनांकः 8 नवम्बर, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–अल्मोड़ा में हैरीटेज पर्यटन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत कोटली गंधक में पार्किंक के निर्माण हेतु 0.1513 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पर्यटन विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(ऑनलाईन फाईल संख्या FP/UK/OTHERS/29590/2017)

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06–11–2015.**

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की **हार्ड कापी की एक प्रति मूल में** संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या : FP/UK/OTHERS/29590/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी